निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर– 302015
(दूरभाष 0141–2740735, फैक्स 0141– 2742309, ई–मेल jdp1-ta-rj@nic.in)
क्रमांकः– एफ. 3 (ख)( ) अलेसे– II/ 20401-20409 दिनांकः– 17-9.2015

आदेश संख्या

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम 1963 के नियम 29(2ए) के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी वर्ष 2013–14) की सिफारिशों के आधार पर श्री रामेश्वर खोखर, कनिष्ठ लेखाकार (मेरिट सं. 462/90, लिंक नं. 2226) जन्म तिथि 5 फरवरी, 1968 जिनका चयन उक्त नियमों के अन्तर्गत लेखाकार के रिक्त पद पर वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर किया गया था, किन्तु इनके विरूद्ध सीसीए 16 नियम के तहत जाँच लम्बित होने के कारण इनके पदोन्नति आदेश जारी नहीं किये गये।

विभागीय आदेश क्रमांक एफ.1(सी)1472/जांच/2011/454–458 दिनांक 24.07.2015 द्वारा श्री रामेश्वर खोखर को आरोप मुक्त करते हुए प्रकरण समाप्त कर दिये जाने के कारण इनकी पदोन्नति की जाकर लेखाकार पद की वेतन श्रृंखला 9300–24800 (पे बैण्ड –2), ग्रेड पे–4200/– में स्थानापन्न रूप से नियुक्त किया जाता है। श्री रामेश्वर खोखर (मेरिट सं. 462/90) की वरिष्ठता श्री राजेश सोनी, (461/90) एवं श्री देवेन्द्र शर्मा (मेरिट नं. 463/90) के मध्य रहेगी।

श्री रामेश्वर खोखर को लेखाकार के पद पर चयनित वर्ष की अन्तिम तिथि से इस आदेश की पालना में वास्तविक कार्यग्रहण तिथि तक पदोन्नति पद की वेतन श्रृंखला में वेतन निर्धारण का केवल काल्पनिक लाभ ही देय होगा।

श्री रामेश्वर खोखर, कनिष्ठ लेखाकार पदोन्नति के उपरान्त आपने वर्तमान पद पर इस पद को अस्थाई रूप से यथा आवश्यकता क्रमोन्नत मानते हुए कार्यग्रहण कर अग्रिम आदेशों तक यथावत कार्यरत रहेंगे।

उक्त आदेश वित्त विभाग की स्वीकृति संख्या प.2(15)वित्त/राजस्व/10 दिनांक 21 जून 2013 के अनुसरण में जारी किए गए हैं।

(भास्कर शर्मा)
निदेशक

क्रमांकः– एफ. 3 (ख) ( )/अलेसे– II/ 20401-20409 दिनांकः– 17-09-2015

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, टोंक।
2. जिला परिषद, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, टोंक को प्रेषित कर लेख है कि कृपया सम्बन्धित कनिष्ठ लेखाकार को लेखाकार के पद पर कार्यग्रहण करवाकर विभाग को सूचित करावें।
3. संयुक्त निदेशक, कार्मिक–III, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त कनिष्ठ लेखाकार की निजी पत्रावलियॉ पूर्ण करवाकर इस अनुभाग को भिजवाने का श्रम करावें।
4. उपनिदेशक (एसीपी) कम्प्यूटर अनुभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने तथा पीआईएस रिकार्ड संधारण हेतु।
5. श्री रामेश्वर खोखर, कनिष्ठ लेखाकार (मेरिट सं. 462/90, लिंक नं. 2226) जिला परिषद, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, टोंक को निर्देशित किया जाता है कि वे लेखाकार पद पर कार्यग्रहण कर सूचना अविलम्ब इस विभाग को भिजवावें।
6. डीपीसी अनुभाग/ गोपनीय अनुभाग
7. वरिष्ठ निजी सहायक, निदेशक महोदय।
8. निजी पंजिका/आदेश पंजिका।

(के.एम.मीणा)
अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक–II)